सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 121 राँची, सोमवार, 11 फरवरी, 2019 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

28 जनवरी, 2019

संख्या-4/आ०1-55/2016/ 354-- झारखंड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री राम यतन राम (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2) तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज सम्प्रति-उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची के विरूद्ध झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलवाद संख्या-1240/15 सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज मामले में आवेदक/अपीलकर्त्ता को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संदर्भ में पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र सिंकु के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-860 दिनांक 2 दिसम्बर, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित विभागीय कार्रवाई में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के कार्यालय से संबंधित होने के कारण जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज से सूचना की मांग की गई थी परन्तु जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के द्वारा स्वेच्छाचारितापूर्वक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई। उक्त के आलोक में सूचना अधिकार अधिनियम

के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन कर ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रथम दृश्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 17 एवं 14 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में इस विभाग के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के आदेश-सह-ज्ञापांक-11393 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ नामित जाँच पदाधिकारी श्री ददन चौबे को संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय उप सचिव-सह-प्रथम अपील प्राधिकार, विभागीय जन सूचना, श्री असीम किस्पोट्टा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिष्चित करें साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगें।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र भूषण सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 121 -- 50